

we are not going to discuss that. That is very serious. If the House agrees, we will dispense with the lunch hour, not with lunch.

श्री विजय कुमार मल्होत्रा: यह जो अखबारों की हड़ताल दिल्ली में है, इतना सीरियस मामला है.... पेपर आज हड़ताल पर है...(व्यवधान)

THE DEPUTY CHAIRMAN: Let me finish with Mr. Dalmia.... (Interruptions)...Mr. Dalmia, will you be very, very brief?

मिसटर डालमिया, आप बोलिए। इधर देखकर बोलिए।

SHRI SANJAY DALMIA: Madam, I will not take more than a minute.

SHRI INDER KUMAR GUJRAL (Bihar): You have already taken two minutes.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Dalmia...(Interruptions)...He has already spoken. He is no more a maiden.

REFERENCES

Taiwanese Minister's Visit to Sikkim

SHRI SANJAY DALMIA (Uttar Pradesh): A report has appeared in regard to the visit of Taiwanese Minister and his officials to the State of Sikkim. I want to know whether there is any protocol when a foreign minister or a foreign official makes a visit to a State. Entry to this Minister and his officials was banned. Then, how could that Minister and his officials go and visit the State and how could they be accorded State Reception as State Guests? I want to know what the protocol is in regard to world leaders. This is a matter which requires the attention of the Government...(interruptions)...

श्री ईश दत्त यादव (उत्तर प्रदेश): महोदया, सुन लीजिए इनको...(व्यवधान)

उपसभापति: जल्दी बोल दीजिए।

श्री ईश दत्त यादव: महोदया, आप ध्यान दीजिए। गृह मंत्री भी चले गये हैं। यह गम्भीर मामला है।

उपसभापति: कोई तो सुन रहे हैं। मंत्री हैं।

SHRI SANJAY DALMIA: Now the

question is about the protocol when a foreign Minister or a foreign official visits a State. I want to know what the protocol is when a foreign Minister visits.

I would like to draw the attention of the House to another serious matter which has come out today. In the State of Rajasthan, there is a Guest Control Order. (व्यवधान)

उपसभापति: नहीं। एक एक बोलिए (व्यवधान)

SHRI SANJAY DALMIA: And the Chief Minister attends that wedding reception in violation of the guest control order...(Interruptions)

AN HON. MEMBER: Madam, this is not a serious matter.

SHRI SANJAY DALMIA: The law was passed in 1978...(Interruptions)

SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR (Uttar Pradesh): Madam, from one topic he is going to another.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Dalmia, we cannot travel from Sikkim to Rajasthan so fast. Let somebody else go to Rajasthan.

SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR: Let him confine himself to one topic.

(Interruptions)

श्री ईश दत्त यादव: मैडम, बोलने दीजिए। देश में कानून का उल्लंघन हो रहा है। यही बात सिक्किम से लेकर राजस्थान तक की कह रहे हैं।

उपसभापति: आप भी कानून का उल्लंघन कर रहे हैं।...(व्यवधान)

श्री ईश दत्त यादव: मैडम...(व्यवधान)

उपसभापति: ईश दत्त जी, आप हमारे हाउस में बगैर पूछे हुए बोल रहे हैं। आप भी तो कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। इसलिए आप बैठ जाइये। यूस, मि० टॉपडेन।...(व्यवधान)

श्री संजय डालमिया: भाटिया जी के मंत्रालय में जिस तरह का उल्लंघन हुआ था...(व्यवधान)

उपसभापति: बोलिए। यूस, मि० टॉपडेन।...(व्यवधान)

श्री संजय डालमिया: मैडम, कानून बनाने वाला ही तोड़े तो फिर कैसे काम चलेगा?...(व्यवधान)

उपसभापति: बैठ जाइये।

SHRI KARMA TOPDEN (Sikkim): Madam I have the highest regards for Mr. Sanjay Dalmia. He knows Sikkim well. And I am a bit disappointed that despite his knowledge of Sikkim he has taken instead brief from what has been written in the newspaper. Madam, I have just come from Sikkim. No Premier of Taiwan visited Sikkim. My name is mentioned also and it was said that the Premier of Taiwan was my personal guest. I wish he was a friend like that. I would not mind. But neither the Chief Minister of Sikkim nor I as the Minister of the State Government ever met any dignitary from Taiwan. No official reception was given to any dignitary of Taiwan. All that has been reported is fictitious. And may I take this opportunity to assure the House that I have just taken the oath to be loyal to the Constitution of India? And may I assure the hon. Member that we in Sikkim abide by the Constitution of India?

THE DEPUTY CHAIRMAN: We welcome you in the House, Mr. Topden.

श्री संजय डालमिया: राजस्थान, मैडम...(व्यवधान)

उपसभापति: राजस्थान का बाद में होगा। प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा।

Strike by Journalist and Non-working Journalists in Delhi

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा (दिल्ली): उपसभापति महोदया, आज दिल्ली में सभी अखबारों के जर्नलिस्ट्स और नॉन जर्नलिस्ट्स हड़ताल कर रहे हैं। उपसभापति जी, यह जो हड़ताल हो रही है वह जर्नलिस्ट्स के लिए जो नया वेज बोर्ड बनना है, जिसका मामला...(व्यवधान)

श्री मूलचन्द मीणा (राजस्थान): मैडम...(व्यवधान)

उपसभापति: आप जरा एक मिनट बैठिए। I will permit you. Let Mr. Malhotra say something. Then I will allow you.

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा: उपसभापति जी, यह

वेज बोर्ड का मामला काफी देर से पेंडिंग पड़ा हुआ है। प्रधान मंत्री जी ने 7 जनवरी को घोषणा की कि यह मामला फाइनल हो गया है। हम इसको लागू करने जा रहे हैं और कल उन्होंने यह कहा कि यह मामला कैबिनेट को तय करना है। तो कैबिनेट किसी दूसरे मुल्क की तो है नहीं, कैबिनेट अपने मुल्क की है और प्रधान मंत्री जी कैबिनेट में जब चाहें तय करवा सकते हैं। कल उन्होंने कहा है कि कैबिनेट के अंदर उसका फैसला करवाने के लिए, किसी और जगह पर उनको रेक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं और जहां पर कल कांग्रेस के प्रवक्ता ने भी यह बात कही और प्रधान मंत्री जी ने कल भी इफ्तार पार्टी में कहा है कि मेरा क्या बिगड़ता है, बन जाए तो बन जाए। इस तरह इसको कोई इतना कैजुअली लेना मैं समझता हूँ कि बहुत गलत है और यह नया वेज बोर्ड फौरी तौर पर बनाया जाना चाहिए। आज बजट आएगा और बजट कल अखबारों में छपेगा नहीं लोगों को बजट के बारे में पता नहीं लगेगा। सरकार को इस मामले को इतना कैजुअली नहीं लेना चाहिए। फौरी तौर पर नए वेज बोर्ड की घोषणा करनी चाहिए और उसका इंटरिम रिलीफ उनको देना चाहिए।

श्री ओ०पी० कोहली (दिल्ली): उपसभापति महोदया, अभी प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा जी ने जर्नलिस्ट्स और नॉन-जर्नलिस्ट्स के लिए वेज बोर्ड के गठन की बात कही। मैडम, यह मामला इसलिए भी बहुत गंभीर है क्योंकि आज जब बजट पेश किया जाएगा तो लोगों को और दिल्ली के लोगों को विशेष तौर से सिर्फ सरकार मीडिया के माध्यम से ही बजट पर और बजट पर होने वाली प्रतिक्रियाओं का पता चलेगा मैडम पिछला वेज बोर्ड 1985 में गठित हुआ था।

उपसभापति: दिल्ली की एसेंबली में उठाइए न? दिल्ली की एसेंबली बन गया है...(व्यवधान)...

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा: मैडम, यह मामला सेंट्रल गवर्नमेंट को तय करना है, सेंट्रल कैबिनेट को तय करना है।...(व्यवधान)...

उपसभापति: आप सब लोग क्यों खड़े हो जाते हैं

PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA: Wage Board is to be decided by the Central Government.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I am only reminding the Members that now we have the Delhi State Assembly.

PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA: This matter has to be